

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) बिजनौर।

पत्रांक 84/खनिज अनुभाग-2026

दिनांक 05 मार्च, 2026

ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना (प्रेस विज्ञापित)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता किया है कि जनपद बिजनौर मे नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध बालू/बजरी/बोल्डर (मिश्रित अवस्था) के निम्न खनन क्षेत्र को शासनादेश संख्या-2026/86-2019-57(स)/2017 दिनांक 30.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 06 (छः) माह की अल्प अवधि के लिये ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु निर्णय के आधार पर निम्नांकित क्षेत्र को खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 07.03.2026 समय 10-00 बजे पूर्वान्ह से दिनांक 16.03.2026 समय 05-00 बजे अपराहन तक निम्नांकित क्षेत्र के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:-

क्र. सं.	तहसील	ग्राम	गाटा सं० / खण्ड सं०	क्षेत्रफल (हे० / एकड में)	सीमारे		उपखनिज का नाम	डी०एस०आर० में स्वीकृत खनन योग्य उपखनिज की मात्रा (घन०मी० में)
					जियोकार्डिनेट			
					बिन्दु सं०	कार्डिनेट		
1.	नगीना	सुन्दरवाली	83/2/1, 83/02/3	1.062 हे०	A B C D	29 38' 24.1" N 78 29 25.4"E 29 38' 26.2" N 78 29 30.0"E 29 38' 27.3" N 78 29 28.7"E 29 38' 22.1" N 78 29 28.5" E	आर.बी.एम.	19116

ई-टेण्डरिंग प्रणाली की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी-

प्रेस विज्ञापित (विज्ञापित का प्रकाशन)	07.03.2026
ई-निविदा (ई-टेण्डर) डालने की अवधि	दिनांक 07.03.2026 से 16.03.2026 तक (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपराहन 05.00 बजे तक)
ई-निविदा के अपलोड स्कैन कॉपी की हार्ड कॉपी (मूल प्रति जमा कराने हेतु)	ई-निविदा में प्रतिभाग करने के बाद से ई-निविदा खोले जाने से एक घण्टा पूर्व तक
ई-निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 17.03.2026 पूर्वान्ह 12.00 बजे

ई-निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी ऑन लाईन के ई-आक्शन पोर्टल "e-tenders.up.nic.in" पर अपलोड करा दी गयी है। उक्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय बिजनौर से प्राप्त की जा सकती है।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना अधिकारी, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्त प्रेस विज्ञापित को जनपद बिजनौर में पढे जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुए 02 दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी,
बिजनौर।